संचालनालय, कोष एवं लेखा
मध्यप्रदेश

क्रमांक/प्रशि0/प्रशा0अका0/परि.एम.पी.एफ.एस./2018/559 भोपाल,दिनांक 24/03/2018

प्रति,

कोषालय अधिकारी
जिला कोषालय
--------- म0प्र0।

विषय:- नवनियुक्त म0प्र0 वित्त सेवा (परिवीक्षाधीन वर्ष 2015) अधिकारियों के प्रशिक्षण बावत ।

संदर्भ:- म0प्र0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय आदेश दिनांक 11.10.17, 30.10.17, 05.1217, 23.12.2017

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र अनुसार नवनियुक्त म0प्र0 वित्त सेवा के परिवीक्षाधीन 91 अधिकारियों को दिनांक 26.03.2018 से 25.08.18 तक कुल 23 सप्ताह का जिला स्तर पर कार्यालयीन कार्यो का व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम परिशिष्ट- "अ" पर संलग्न प्रेषित है। कृपया संलग्न सूची अनुसार नवनियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित् करें।

पत्र के साथ अधिकारियों के नाम तथा जिसे जिले में प्रशिक्षण दिलाया जाना है उन जिलों की सूची संलग्न प्रेषित है।

इनके प्रत्येक माह की उपस्थिति 25 तारीख तक संबंधित अधिकारी के पदस्थापना कार्यालयों को प्रेषित करते हुये एक प्रति इस संचालनालय की प्रशिक्षण शाखा को प्रेषित करें।

समस्त प्रशिक्षाणार्थियो द्वारा जिला स्तर पर लिये गये प्रशिक्षण का प्रशिक्षण प्रतिवेदन एकजाई कर संबंधित कोषालय अधिकारी, संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रमुख के प्रति हस्ताक्षर उपरांत प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र सहायक संचालक प्रशिक्षण शाखा संचालनालय कोष एवं लेखा को प्रेषित करेंगें तथा प्रशिक्षण अवधि में लिये गये अवकाश आवेदन आदि सहायक संचालक, राजपत्रित शाखा संचालनालय कोष एवं लेखा के नाम से प्रेषित करेंगें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिलों की सूची।

अपर संचालक
कोष एवं लेखा

पृ0 क्रमांक/प्रशि./म.प्र.वि.से.2018/ भोपाल,दिनांक /03/2018

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, म0प्र0की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. कार्यालय प्रमुख, जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट/उपकोषालय अधिकारी /जिला स्तरीय बैंक/ जिला पेंशन कार्यालय/ जिला न्यायालय / जिला आबकारी कार्यालय/जिला वाणिज्यक कर कार्यालय/जिला पंजीयक कार्यालय/जिला पंचायत कार्यालय/ कार्यपलन यंत्री लोक निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विकास एवं ग्रमीण यांत्रिकी /जिला वनमंडलाधिकारी/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/नगरपालिका एवं नगर निगम/ जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिला----------की आरे सूचनार्थ प्रेषित कर अनुरोध है कि नवनियुक्त म0प्र0 वित्त सेवा(परि.) अधिकारियों को निर्धारित अवधि में संलग्न प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार अपने कार्यालय में कार्यलयीन कार्यो का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित् करें। अग्रेषित। (जिले में एक से अधिक वनमंडल की स्थिति में प्रशि.कार्यालय सामान्य वनमंडल रहेगा)
4. संबंधित परिवीक्षाधीन अधिकारी श्री/श्रीमती/कुमारी/------------------ जिला कोषालय --------- की ओर पालनार्थ अग्रेषित। प्रत्येक परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण में उपस्थित होना अनिवार्य है । प्रशिक्षण से अनुपस्थिति की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। प्रत्येक परिवीक्षाधीन अधिकारियों का दायित्व होगा कि वे जिले के जिला कार्यालय में ही प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित् करेंगें। समस्त प्रशिक्षाणार्थी प्रशिक्षण उपरांत अपना प्रतिवेदन, संबंधित जिला कार्यालय के कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर सहित तथा कोषालय अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर सहित संचालनालय की ई–मेल, dta _adtraining@mptreasury.gov.in के माध्यम से ही प्रेषित करेंगें। प्रतिवेदन की हार्ड कापी स्वीकार नही की जायेगी।
5. संचालनालय की राजपत्रित शाखा, गणक शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. श्री लोकेश तिवारी, सहायक प्रोग्रामर, संचालनालय कोष एवं लेखा की ओर उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सूची सहित को संचालनालय की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

Sd/-
अपर संचालक
कोष एवं लेखा